

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 द्वारा प्रमाणित संस्था)

की

इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत स्वर्णजयन्ती पार्क के गाजियाबाद हाट में

“पहले आओ पहले पाओ”

के आधार पर दुकानों के संचालन हेतु आवंटन की
नियम एवं शर्तों की पंजीकरण पुस्तिका



एक सुन्दर शहर.....हमारा संकल्प

मूल्य-₹ 500.00



गजियाबाद विकास प्राधिकरण

गजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)


दुकानों के आवेदन एवं नियम व शर्त :-

कार्य का नाम— इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत स्वर्णजयन्ती पार्क के गजियाबाद हाट में निर्मित 38 दुकानों का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तीन माह, छः माह एवं एक वर्ष की अवधि के लिए संचालन का कार्य।

1. इन्दिरापुरम योजना स्थित स्वर्णजयन्ती पार्क में निर्मित गजियाबाद हाट की दुकानों के संचालन की अवधि तीन माह, छः माह एवं एक वर्ष की होगी।
2. संचालनकर्ता को आवंटन के समय प्रति स्टॉल ₹ 10,000.00 (दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो गजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, जमा कराना होगा।
3. संचालनकर्ता द्वारा गजियाबाद हाट में स्टॉल पर विद्युत संयोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
4. संचालनकर्ता आवंटित स्टॉल में गजियाबाद हाट के अनुरूप ही सामग्री की विक्रय करने के लिए बाध्य होगा।
5. स्टॉल का आवंटन जहाँ है जैसा है के आधार पर किया जायेगा। संचालनकर्ता द्वारा स्टॉल का स्वरूप परिवर्तित नहीं करेगा।
6. अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति व उसके आस-पास की सफाई का पूर्ण दायित्व अनुज्ञप्तिग्रहिता का होगा और अनुज्ञप्तिग्रहिता अपने खर्चे पर उच्च कोटि के डस्टबिन आदि की व्यवस्था स्वयं करेगा तथा स्थल पर किसी भी प्रकार के स्थाई/अस्थायी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
7. अनुज्ञप्तिग्रहिता को हॉट संचालन हेतु नैतिक सहयोग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।
8. अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा गजियाबाद हॉट में स्टॉल का संचालन प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरूप एवं प्राधिकरण हित में किया जायेगा, कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रतिकर अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा वहन किये जायेंगे, अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
9. अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा हॉट के आयोजन हेतु प्रशासनिक अनुमति आयोजक संस्था द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेगी। हॉट संचालन की अवधि में किसी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए अनुज्ञप्तिकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा तथा हॉट का आयोजन प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक ही किया जा सकेगा और शांति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व अनुज्ञप्तिग्रहिता का होगा।
10. स्टॉल की सुरक्षा व्यवस्था संचालनकर्ता द्वारा अपने व्यय से करनी होगी।
11. संचालनकर्ता को अपने व्यय पर स्टॉल का बीमा कराना होगा।

12. आवंटी द्वारा दुकान के बाहर बिक्री किये जा रहे सामान का डिसप्ले नहीं किया जायेगा।
13. अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा संचालित हॉट परिसर में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक व अन्य घटना घटित होने से किसी कर्मचारी अथवा आने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की छति होने पर उसकी छतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति का दायित्व अनुज्ञप्तिग्रहिता का होगा। अनुज्ञप्तिकर्ता उसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
14. अनुज्ञप्तिग्रहिता को स्वर्णजयन्ती पार्क में होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी, केवल स्टॉल/हॉट पर बोर्ड लगाने की अनुमति होगी, जिसका साईज एवं लेखन विवरण तथा स्थापित करने का स्थान प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदित कराना होगा।
15. अनुज्ञप्तिकर्ता को अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा दिये गये सुझाव अनुज्ञप्तिग्रहिता को मान्य होंगे।
16. अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति एवं उसके संचालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयको के अदा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिग्रहिता की होगी, अनुज्ञप्तिकर्ता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
17. अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति के अनुज्ञप्ति विलेख को भंग करने का पूर्ण अधिकार अनुज्ञप्तिकर्ता को होगा, इस हेतु एक माह का नोटिस देकर अनुज्ञप्ति समाप्त की जा सकती है, अनुज्ञप्ति विलेख भंग हो जाने की दशा में अनुज्ञप्तिग्रहिता को हॉट के संचालन में हुये खर्च की प्रतिपूर्ति/प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और वह इस हेतु अनुज्ञप्तिकर्ता के विरुद्ध कोई वाद भी योजित नहीं कर सकेगा।
18. अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा हॉट परिसर की वार्षिक रंगाई-पुताई एवं मरम्मत मानक के अनुरूप स्वयं के खर्च पर करनी होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा नहीं की जायेगी, तथा सम्पूर्ण हॉट की कलर स्कीम एक समान होगी, जिसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
19. अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा स्टॉल आवंटन के 15 दिन के अन्दर प्रथम वर्ष का शुल्क जमा कराना होगा। आगामी प्रत्येक वर्ष वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत/उपभोगता मूल्य सूचकांक (जो भी अधिक हो) के आधार पर वार्षिक वृद्धि के साथ जमा करना होगा।
20. अनुज्ञप्तिग्रहिता को हॉट परिसर में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण की अनुमति नहीं होगी, स्थल पर सफाई आदि की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिग्रहिता की होगी।
21. अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिग्रहिता की होगी, शांति व्यवस्था भंग होने की दशा में अनुज्ञप्तिकर्ता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
22. स्टॉल के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।
24. अनुज्ञप्तिग्रहिता एवं अनुज्ञप्तिकर्ता के मध्य कोई विवाद होने की दशा में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

25. परिसर का रख-रखाव, साफ-सफाई व पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।
26. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब करते हुये स्टॉल निरस्त कर दी जायेगी, तथा कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।


उप निदेशक (उद्यान)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।



गाजियाबाद

विकास

प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

दुकान संचालन के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र

आवेदन पत्र संख्या :

स्वयं सत्यापित
फोटो

1. आवेदक का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. आयु :

4. स्थायी पता :

5. पत्र-व्यवहार का पता :

6. टेलीफोन नं. : मोबाईल नं. : ई-मेल :

7. ए. व्यवसाय :

बी. आवेदित सम्पत्ति का विवरण :

1. स्थल का नाम :

2. जमा धरोहर राशि का विवरण.....

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से दुकान के संचालन हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंने उक्त दुकान के संचालन हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ तथा दुकान के आवंटन का निर्धारित शुल्क एवं अन्य धनराशि निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए सन्तोषजनक संचालन करूंगा/करूंगी।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर.....